

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वनभूमि-30/2024- 448 व०प०, राँची, दिनांक- 05/02/2025

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सार्ट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेपटीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-60 दिनांक-16.01.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए निराकरण प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :-

- (1) पूर्व खण्डित 9.87 हे० वनभूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता अभिकरण को है अथवा नहीं। यदि हाँ, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसके अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता है अथवा नहीं।
- (2) पूर्व समर्पित 19.56 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के Withdrawal की कार्रवाई की गई अथवा नहीं।

विश्वासभाजन


05/02/2025

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-30/2024- 448 व०प०, राँची, दिनांक-

05/02/2025

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक, हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, माईस डिवीजन, कोर्ट रोड, लोहरदगा, झारखण्ड-835302 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05/02/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।

o/c